

(b) Various aspects of food ecooiny remain under constant review by Government and appropriate action is taken wherever and whenever called for.

मध्य प्रदेश में चीनी का उत्पादन

3144. श्री अजीत जोशी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में चीनी के कारखानों में कुल कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन हुआ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों से घाटे में चल रही चीनी के कारखानों की स्थिति में सुधार करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाग राय) : (क) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

चीनी वर्ष (सितम्बर-अक्टूबर)	उत्पादन (लाख टन)
1989-90	0.72
1990-1991	1.03
1991-92 (अंतिम)	1.28

(ख) सरकार चीनी फैक्ट्रियों को होने वाले लाभ/घाटे का रिकार्ड नहीं रखती है। तथापि, सरकार चीनी फैक्ट्रियों को पुन-स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए आसान शर्तों पर ऋण सहायता उपलब्ध कराती है। गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में चीनी उपक्रमों को मत्ता विकास/आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए चीनी विकास निधि से मंजूर की गई ऋण सहायता निम्न प्रकार है :—

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	मंजूर की गई राशि (रु. लाख में)
1989-90	362.77
1990-91	435.00
1991-92	—

मध्य प्रदेश में पंजीकृत चीनी मिलें

3145. श्री अजीत जोशी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पंजीकृत चीनी मिलों की संख्या कितनी है; और

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान इनमें अलग-अलग क्वालिटी की चीनी का कितनी-कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाग राय) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य में 8 संस्थापित चीनी मिलें हैं।

1991-92 मौसम (अक्टूबर-सितम्बर) के दौरान इन चीनी फैक्ट्रियों का गणवत्तावार चीनी का उत्पादन निम्न प्रकार था :—

ग्रैंड	उत्पादन (टन)
एल-30	280
एम-30	52,836
एम-29	72
एस-30	74,348
एस-29	676
मानक से नीचे	599
अनप्रीडिड	372
कुल	1,29,183

खाद्यान्नों को डूलाई

3146. श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

श्री अमल राय जायसवाल :

श्री विजयजय सिंह :

श्री राम नरेश यादव :

श्री रमेश कुमार यादव 'रीय' :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्नों के

परिवहन के लिए उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को वित्तीय सहायता देने हेतु कोई योजना तैयार की गई है अथवा इस पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका व्यौरा क्या है;

(ग) इसमें उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से क्षेत्र शामिल किए गए हैं; और

(घ) उत्तरी राज्यों के ग्रामीण जिलों तथा बिहार और महाराष्ट्र के पर्वतीय जिलों के लिए कितनी राज-सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा मासिक आवंटनों के प्रति राज्यों/राज्य शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आदि के लिए खाद्यान्न जारी किए जाते हैं। ये निर्गम केन्द्रीय मूल्यों पर (भारतीय खाद्य निगम के मोदामों से) किए जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम के मोदामों/डिपूओं से खाद्यान्नों की ढूलाई लागत की प्रतिपूर्ति राज्य सरकारों को नहीं की जाती है। तथापि, पहली अगस्त, 1975 से लागू पहाड़ी परिवहन राजसहायता योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के आधार सप्लाई डिपूओं से पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित जिलों में प्रमुख वितरण केन्द्रों तक ढूलाई लागत की प्रतिपूर्ति करती है। उक्त योजना इस समय पहाड़ी बहल राज्यों अर्थात् जम्मू-काश्मीर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में लागू है।

चूँकि उत्तर प्रदेश पहाड़ी बहल राज्य नहीं है, इसलिए यह राज्य पहाड़ी परिवहन राज-सहायता योजना के अधीन नहीं आता है। उक्त योजना बिहार और महाराष्ट्र पर भी लागू नहीं है।

New Sugar Policy

3147. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI MURLIDHAR CHAND-
RAKANT BHANDARE:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

fa) whether Government have since finalised the new sugar policy;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what specific improvements will it carry in licensing, production, sale and exports of sugar ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : fa) Yes, Sir.

(b) and (c) The salient features of the New Sugar Policy are as under :—

(1) The Statutory Minimum Price (SMP) of sugarcane for the current 1992-93 season has been increased to Rs. 31 per quintal from Rs. 26 per quintal prevailing during the last season. An advance announcement of SMP of Rs. 32.50 per quintal has been made for 1993-94 season.

(2) The uniform retail issue price of levy sugar has been revised from Rs. 6.90 per Kg. to 8.30 per Kg. effective from 17-2-93.

(3) The ratio of levy: free sale sugar has been revised to 40 : 60 for 1992-93 season as against 45 : 55 earlier.

(4) Additional production of sugar factories during the period 1st of January, 1993 to 30th April, 1993, over the corresponding period during 1991-92 season, would be entitled to 80% free sale quota, as against the normal 60%.

(5) The sugar factories which would undertake sugar production during the late crushing period, i.e., 1st of May to 31st July, 1993, would be entitled to higher free sale quota of 72%, as against the normal 60%.

(6) The incentive scheme for new sugar factories and expansion projects has been suitably revised.